प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.10.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

दिनांक 24.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र रामपार्क से 01 अवैध तमंचा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त आशीष पुत्र कामिल निवासी राजा गार्डन गढा अन्डर पास के पास ठेके के पीछे गली न0-2 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । उक्त बरादगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह देशी तमंचा लोगों में अपना रौब दिखाने के लिए रखता हूँ। मैं यह तमंचा लेकर घूम रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशीष पुत्र कामिल निवासी राजा गार्डन गढा अन्डर पास के पास ठेके के पीछे गली न0-2 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आशीष के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के संबंध में आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर अवैध शस्त्र बरामद होने के संबंध में 02 अभियोग,चोरी का सामान बरामद होने के संबंध में 01 अभियोग तथा थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है ।

(कुल अभियोग -05) । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

दिनांक 24.10.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त मौहम्मद सोनू पुत्र मौहम्मद जमील निवासी हाफिज शाहिद प्रापर्टी डीलर के ऑफिस के पास डी-ब्लाक खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर शस्त्र अधिनियम की धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं लोगों में अपना रौब दिखाने के लिये अवैध शस्त्र रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मौहम्मद सोनू पुत्र मौहम्मद जमील निवासी हाफिज शाहिद प्रापर्टी डीलर के ऑफिस के पास डी-ब्लाक खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर शस्त्र अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 24.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी जाकिर पुत्र जमील द्वारा तहरीर दी गई कि मेरे भाई दानिश की चाँद मार्केट में T.V रिपेयरिंग की दुकान है। दिनाँक 22.10.2025 को अभियुक्त 1-अरमान पुत्र सलीम निवासी खुशहाल पार्क 2-यामीन पुत्र जावेद निवासी खुशहाल पार्क लोनी 3-अनस पुत्र बब्लू निवासी- खुशहाल पार्क 4-जावेद पुत्र शाहिद अली निवासी खुशहाल पार्क 5-सलीम पुत्र शाहिद निवासी खुशहाल पार्क व करीब 8, 10 अज्ञात व्यक्ति ने आकर 1-दानिश पुत्र जमील अहमद निवासी रामपार्क 2-कासिम पुत्र् सलीम निवासी

खुशहाल पार्क 3-वसीम पुत्र वकीलू निवासी खुशहाल पार्क 4- मोमीन पुत्र इस्लामुदीन निवासी-खुशहाल पार्क के ऊपर चाकुओं व अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया जिसमें दानिश गम्भीर रूप से घायल हो गया व वादी पक्ष के अन्य लोगो को भी चोटें लग गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 191(2)/191(3)/118(2)/131 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्तगण 1- जावेद पुत्र शाहिद अली निवासी खुशहाल पार्क, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष 2-सलीम पुत्र शाहिद अली निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू बरामद हुयें। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो सगे भाई हैं। दिनांक 22.10.2025 की शाम को हमारा दानिश पुत्र जमील अहमद निवासी रामपार्क आदि लोगो से लडाई-झगडा हो गया था जिसमें हमने चाकूओं से विपक्षीगण पर हमला कर घायल कर दिया था तथा हम मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-जावेद पुत्र शाहिद अली निवासी खुशहाल पार्क,थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।

2-सलीम पुत्र शाहिद निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 24.10.2025 वादी श्री राजकुमार पुत्र श्री चेतनराम निवासी बुरावली थाना रहरा जिला अमरोहा की तहरीरी सूचना कि वादी के भाई शिव कुमार को पीट कर जान से मार देने के सम्नब्ध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 24.10.2025 को नेहरुनगर फ्लाईओवर के नीचे चौकी क्षेत्र कविनगर से अभियुक्तगण 1. देशपाल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पोरारा की मढैया थाना रेहरा जिला अमरोहा उम्र करीब 20 वर्ष 2. धर्मवीर उर्फ धर्मी पुत्र नरेश सिह निवासी ग्राम रायपुर खादर थाना चाँदपुर जिला बिजनौर , उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:-</u> गिरफ्तार अभियुक्तगण देशपाल ने पूछताछ में बताया कि हम दोनो व शिव कुमार पुत्र चेतराम निवासी ग्राम बुरावली थाना रेहरा जिला अमरोहा साथ में मजदूरी करते थे तथा मजदूरी करने के बाद रात को नासिरपुर फाटक के पास ही जगह देखकर सो जाते थे जहा पर अन्य काफी मजदूर भी रात को सोते है दिनांक 13.10.2025 को मजदूरी करने के बाद हम दोनो व शिव कुमार नें शाम के पांच- छः बजे मजदूरी से आने के बाद, सात आठ बजे नासिरपुर फाटक से शनि मंदिर कविनगर की तरफ जाने वाली सड़क किनारे खोखे के पास बैठकर पहले शराब पी तथा फिर हम तीनो जुआ खेलने लगे। जुए में शिव कुमार पुत्र चेतराम तीन सौ रुपये हार गया था। जिस पर शिव कुमार ने हम लोगो को बहन की गाली दे दी यह बात हम दोनो को चुभ गयी मैने अपनी पैंट की बेल्ट निकालकर शिव कुमार को बुरी तरह से पीटना शुरु कर दिया तथा धर्मवीर ने वहीं पास में पड़ा डंडा उठाकर शिव कुमार को पीटना शुरु कर दिया तथा जब शिव कुमार ने हिलना डुलना बंद कर दिया तो हम भी शराब के नशे में वही सो गये जब हम दोनो की आंख खुली तथा शिव कुमार को देखा तो शिव कुमार की गर्दन लटकी थी तथा शिव कुमार मर चुका था जिसके बाद हम दोनो वहां से भाग गये तथा उस दिन से अलग अलग जगह बदलकर रह रहे थे। जिस बेल्ट व डंडे से हम दोनो ने शिव कुमार की हत्या की थी वह बेल्ट व डंडा हमने खोखे के पीछे ही फेंक दिये थे। अभियुक्त धर्मवीर ने भी अभियुक्त देशपाल की बात का समर्थन किया।

<u>बरामदगी –</u>

1. एक अदद बेल्ट
2. एक अदद डंडा

<u>अभियुक्ता का नाम पता-</u>

1. देशपाल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पोरारा की मढैया थाना रेहरा जिला अमरोहा उम्र करीब 20 वर्ष
2. धर्मवीर उर्फ धर्मी पुत्र नरेश सिह निवासी ग्राम रायपुर खादर थाना चाँदपुर जिला बिजनौर , उम्र करीब 29 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाले टीम:-</u>

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 25.10.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान राहुल विहार के पास सर्विस रोड थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से अभियुक्त (1) शाहरुख खान पुत्र नसरू खान निवासी हाल पता दीपक कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के पास त्यागी के मकान मे बुद्ध विहार अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम ओली पोस्ट धारमपुर थाना शाहबाद जिला रामपुर उम्र 28 वर्ष (2) पुनीत पुत्र राकेश निवासी हाल पता दीपक कॉन्वेंट पब्लिक

स्कूल, शिव मन्दिर वाली गली, बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, स्थायी पता चिपियाना खुर्द तिगरी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से 01 होण्डा लीवो मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई, जिसकी चैसिस नम्बर व इन्जन नम्बर के माध्यम से जानकारी की गयी तो उक्त मोटर साइकिल का रजि0 नम्बर UP14CW4293 व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से वर्ष 2024 मे चोरी होना पाया गया, जिसके चोरी होने के सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 379 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत है। चोरी की मोटर साइकिल बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियोग मे धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तो से पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि करीब डेढ वर्ष पूर्व हमने यह मोटर साइकिल राहुल विहार बहरामपुर से चोरी की थी, पुलिस से बचने के लिए हमने इसकी नम्बर प्लेट को हटा दिया था तथा चोरी आदि की घटना करने के लिए घुम रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

अभियुक्तो का नाम व पता

(1) शाहरुख खान पुत्र नसरू खान निवासी हाल पता दीपक कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के पास त्यागी के मकान मे बुद्ध विहार अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम ओली पोस्ट धारमपुर थाना शाहबाद जिला रामपुर उम्र 28 वर्ष।

(2) पुनीत पुत्र राकेश निवासी हाल पता दीपक कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, शिव मन्दिर वाली गली, बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, स्थायी पता चिपियाना खुर्द तिगरी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 होण्डा लीवो मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट चोरी की।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक वाहन चोरी के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त पुनीत उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड गाजियाबाद पर चोरी के वाहन बरामदगी के सम्बन्ध मे 01 अभियोग व थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर अवैध शराब के सम्बन्ध मे 01 अभियोग व 01 अभियोग NDPS ACT से सम्बन्धित पंजीकृत होना पाया गया है एवं अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद।

दिनांक 24.10.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान इलैक्ट्रिक बस चार्जिंग पाईन्ट के पास ताज हाईवे से 01 अभियुक्त नीरज पुत्र दीवान चन्द निवासी हाल- चरण सिंह कालोनी निकट दुर्गा मन्दिर किराये के मकान में थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल निवासी- सिब्बनपुरा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ, अभियुक्त से बरामद अवैध चाकू के सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं छोटी मोटी चोरी करने की फिराक मे रहता हूं तथा लोगो को डराने तथा अपनी आत्मरक्षार्थ अपने पास चाकू रखता हूँ।

अभियुक्त का नाम व पता

नीरज पुत्र दीवान चन्द निवासी हाल- चरण सिंह कालोनी निकट दुर्गा मन्दिर किराये के मकान में थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल निवासी- सिब्बनपुरा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध चाकू

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक अवैध चाकू बरामदगी के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 25.10.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त सनाउल्ला पुत्र याकूब निवासी गली न0-1 आई ब्लाक सुन्दरनगरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को शहीदनगर की तरफ नाले के सर्विस रोड शालीमार गार्डन गाजियाबाद से चोरी की 01 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद मोटर साइकिल को लगभग 06 माह पहले दिल्ली से चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त चोरी की मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

सनाउल्ला पुत्र याकूब निवासी गली न0-1 आई ब्लाक सुन्दरनगरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध चोरी के सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्ड़न व दिल्ली एनसीआर पर 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।